विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-27/16

मेसर्स होटल मोनार्क, — आवेदक
सर्वे नं. 130, 131, सागौर,
पीथमपुर सेक्टर नंबर 3
धार– 454774.

विरूद्ध

कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इंदौर

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इंदौर

आदेश

(दिनांक 10.04.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0325616 मेसर्स होटल मोनार्क, पीथमपुर विरूद्ध कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर एवं अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–27/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 17.2.2017 को सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान यह आपत्ति ली गई कि फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.3.2016 से 60 दिन की अवधि के अंदर विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी जो कि समयावधि समाप्त होने के पश्चात लगभग 10 माह पश्चात अपील प्रस्तुत की गई।

04 उक्त तर्क के संबंध में आवेदक द्वारा बताया गया कि उन्हें फोरम का आदेश दिनांक 9.3.2016 प्राप्त नहीं होने पर उनके द्वारा फोरम के कार्यालय से दिनांक 14.12.2016 को संपर्क किया गया तथा सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने के पश्चात विद्युत लोकपाल कार्यालय में दिनांक 28.12.2016 को अपील प्रस्तुत की गई।

05 प्रस्तुत अपील के अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया कि न्याय की दृष्टि से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर सुनवाई की जाना उचित है।

05 सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके परिसर में स्थापित एमई दिनांक 19.3.2011 को तथा दूसरी एमई दिनांक 20.4.2012 को जल गई थी जिसकी राशि क्रमशः रूपये 104224/– एवं रूपये 117634/– अनावेदक द्वारा बिना किसी सुनिश्चित किये कि किन कारणों से एमई जली है राशि जमा करा ली गई । कार्यपालन यंत्री/अनावेदक द्वारा दिनांक 31.12.2015 को बताया गया कि दोनों एमई का परीक्षण हो चुका है तथा जमा की गई राशि वापसी योग्य नहीं है। (ओई–1)

06 आवेदक द्वारा दिनांक 13.9.2011 को जली हुई एमई के संबंध में दिनांक 7.9.2011 को अनावेदक द्वारा मीटर एवं एमई का परीक्षण किया गया जिसमें कि एमई की बी फेज सीटी में करंट ना होने से एमई को फेल घोषित करते हुए उसकी कीमत आवेदक से जमा कराई गई। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि जली हुई एमई का प्रयोगशाला में विस्तृत परीक्षण नहीं कराया गया, केवल लोड टेस्ट पर बी फेज ओपन होने के कारण एमई को क्षतिग्रस्त माना गया। जबकि बी फेज ओपन होने के कई कारण हो सकते हैं जिसको कि एमई का कोर इन्श्पेक्शन किये जाने पर ही सुनिश्चित हो सकता था, जो कि अनावेदक द्वारा नहीं किया गया। केवल रूटीन टेस्टिंग में आये परिणाम के आधार पर एमई फोल घोषित कर दी गई।

07 उपरोक्त एमई को दिनांक 13.9.2011 को बदली गई तथा नई एमई भी दिनांक 20.4.2012 को फेल हो गई जिसके विरूद्ध भी 1,17,634/–रू पये जमा कराये गये।

08 उपरोक्त एमई का परीक्षण करने पर बी फेज की सीटी ओपन होना बताते हुए एमई क्षतिग्रस्त घोषित कर दी गई तथा यह कारण बताया गया कि आवेदक के परिसर में फाल्ट ओने के कारण एमई की सीटी में खराबी आयी जिस कारण उसे फेल घोषित किया गया।

09 आवेदक द्वारा यह बताया गया कि उपरोक्त एमई का भी विस्तृत परीक्षण उनके सम्मुख नहीं किया गया। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 13.9.2011 को लगाई गई एमई जो कि दिनांक 20.4.2012 को जल गई थी, गारंटी पीरियेड में होने के पश्चात भी उसकी कीमत उनसे जमा कराई गई जबकि विस्तृत परीक्षण करने के पश्चात यह पाये जाने पर एमई किन कारणों से क्षतिग्रस्त हुई है, सुनिश्चित होने पर निर्माता कंपनी से उक्त एमई को रिपेयर करवाया जा सकता था। उपभोक्ता फोरम द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमई गारंटी पीरियेड में फेल हुई अथवा नहीं जानकारी चाही गई थी परन्तु जानकारी प्राप्त करने के पूर्व ही फोरम द्वारा आदेश पारित कर दिया गया।

10 आवेदक द्वारा यह बताया गया कि चूंकि दोनों एमई का कोर इन्स्पेक्शन नहीं किया गया तथा बिना सुनिश्चित किये कि दोनों एमई किन कारणों से जली है, केवल आवेदक के परिसर में फाल्ट होने से उसकी जिम्मेदारी मानते हुए फेल एमई की कीमत जमा कराई गई। अतः जमा की गई राशि उन्हें वापस दिलाई जाए।

11 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि प्रकरण मे सुनवाई के दौरान ही दोनों एमई को अनावेदक द्वारा स्क्रेप मानते हुए बेच दी गई।

12 अनावेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 7.9.2011 को एमई का परीक्षण किया गया था जिसमें कि सीटी की बी फेज ओपन पाया गया। आवेदक के परिसर में उनके प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.8.2011 को फाल्ट आने से सीटी का जंपर निकल गया था जिसको कि लाईनमेन द्वारा जोड़कर कनेक्शन पुनः चालू कर दिया गया था, तथा इस दिनांक से लगातार टेम्पर डाटा प्राप्त हो रहे थे, उसी के आधार पर परीक्षण करने पर एमई का बी फेज की सीटी ओपन पाई गई जिसका मुख्य कारण आवेदक के परिसर की विद्युत स्थापना में फाल्ट आना था। (ओई–2)

13 दिनांक 20.4.2012 को फेल हुई एमई के संबंध में अनावेदक द्वारा बताया गया कि जली हुई एमई का परीक्षण सहायक यंत्री मीटर टैस्टिंग द्वारा दिनांक 27.2.2013 को परीक्षण किए जाने पर पर बी फेज की सीटी ओपन होना पाया गया जिसके कारण एमई को क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया।(ओई–3)

14 दिनांक 17.2.2017 को सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट करने के लिए कि दिनांक 20.4.2012 को जली हुई एमई गारंटी पीरियेड में है अथवा नहीं की आवश्यक जानकारी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 4.20 के प्रावधान अनुसार अनावेदक को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

15 दिनांक 20.3.2017 को सुनवाई के दौरान दिनांक 20.4.2012 को जली हुई एमई के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट, स्टॉक में एमई प्राप्त होने की जानकारी (ओई–4) एवं क्षतिग्रस्त एमई को नीलाम करने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये। (ओई–5)

16 आवेदक द्वारा अपने अपील आवेदन दिनांक 26.12.2016 में यह उल्लेख किया है कि एमई के बी फेज की सीटी परीक्षण के दौरान ओपन पाये जाने पर यह संभव है कि सीटी की बुशिंग एवं क्वायल तक की लीड निकल गई हो जिससे बी फेज की क्वायल ब्रेक होने से सीटी का ओपन होना परीक्षण में पाया गया । आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि यदि सीटी ओपन हो जाती है तो सर्किट में उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है जिसके कारण एमई बर्स्ट होने के पूरे आसार होते हैं। परन्तु परीक्षण रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया।

17 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 7.9.2011 को परीक्षण के समय परिसर में उपस्थित उनके प्रतिनिधि द्वारा फाल्ट आने का तात्पर्य यह था कि परिसर में मीटरिंग यार्ड में धमाके के साथ एमई के जंपर जल गये थे जिसके कारण सप्लाई फेल हुई। जबकि उनके परिसर में विद्युत स्थापना में कोई भी फाल्ट नहीं हुआ था।

18 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा कई बार पत्र द्वारा दोनों जली हुई एमई के परीक्षण उनके सम्मुख करने हेतु अनुरोध किया गया था (ओई–6 से ओई–10)। परन्तु अनावेदक द्वारा उनके पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं कर कार्यपालन यंत्री, पीथमपुर द्वारा पत्र दिनांक 31.12.2015 से सूचित किया के उनके यहॉ स्थापित दोनों एमई का परीक्षण किया जा चुका है तथा दोनों एमई की सीटी के बी फेज ओपन होने के कारण पैसा वापस नहीं किया जा सकता ।

19 **उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, लिखित वहर एवं सुनवाई के दौरान दिये गये तर्कों के आधार पर निम्न तथ्य सामने आये –**

अ दिनांक 7.9.2011 को आवेदक के परिसर में एमई के परीक्षण करने पर एमई के बी फेज की सीटी ओपन पाई गई तथा परीक्षण रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि दिनांक 29.8.2011 से लगातार सीटी ओपन होने से टेम्पर डाटा प्राप्त हो रहे थे।

ब दिनांक 7.9.2011 को अनावेदक के प्रतिनिधि द्वारा बनाये गये मौका पंचनामा में इस बात का उल्लेख किया गया कि आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.8.2011 को उनके परिसर में फाल्ट हुआ था जिसके कारण एमई का बी फेज का जंपर निकल गया था जिसे अनुज्ञप्तिधारी के लाइनमैन द्वारा जोड़कर कनेक्शन पुनः चालू कर दिया गया।

स उपरोक्त एमई दिनांक 13.9.2011 को बदल दी गई थी तथा वह पुनः दिनांक 20.4.2012 को फेल हो गई।

द दिनांक 20.4.2012 को फेल हुई एमई का परीक्षण अनावेदक के परीक्षण संभाग द्वारा दिनांक 27.2.2013 (ओई–3) को किया गया अर्थात सीटी फेल होने के 10 माह के पश्चात जिसमें कि पुनः एमई के बी फेज की सीटी ओपन हो जाना पाया गया जिसके आधार पर एमई को फेल घोषित कर दिया गया।

च दिनांक 20.4.2012 को फेल हुई एमई का मौका पंचनाम नहीं बनाया गया और न ही किसी रिपोर्ट में इसका उल्लेख आया कि आवेदक के परिसर में फाल्ट आने के कारण एमई क्षतिग्रस्त हुई है।

छ आवेदक के बार–बार अनुरोध करने पर भी अनावेदक द्वारा दोनों क्षतिग्रस्त एमई का विस्तृत परीक्षण/कोर इन्स्पेक्शन आवेदक के सम्मुख नहीं किया गया सिर्फ रूटीन टेस्ट (routine test) के आधार पर बी फेज की सीटी ओपन पाये जाने पर आवेदक की जिम्मेदारी मानते हुए एमई फेल घोषित करते हुए उनसे उसकी कीमत जमा करा ली गई।

20 अनावेदक द्वारा अपनी लिखित वहस दिनांक 16.2.2017 में यह अवगत कराया गया कि दिनांक 20.4.2012 को सुबह 3.30 बजे आवेदक के परिसर में स्थापित एमई में फाल्ट होने के कारण 33 केवीए सप्लाई बंद हो गई थी तथा आवेदक के परिसर में फाल्ट होने से एमई फेल हुई, जबकि इस बात की पुष्टि हेतु कोई मौका पंचनामा एवं आवेदक के परिसर की विद्युत स्थापना में फाल्ट आने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गये। एमई का परीक्षण दिनांक 27.2.2013 को 10 माह पश्चात कियागया तथा जिसमें एमई के बी फेज की सीटी ओपन पाई गई जिसके आधार पर एमई फेल घोषित की गई। (ओई–11)

21 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 7.9.2011 को फेल हुई एमई वर्ष 2008 में स्थापित की गई थी तथा एमई स्थापित करने के बाद गारंटी पीरियेड 12 माह का होता है। चूंकि एमई दिनांक 7.9.2011 को फेल घोषित की गई अतः गारंटी पीरियेड में नहीं थी।

22 दिनांक 20.4.2012 को फेल हुई एमई ऐरिया स्टोर में दिनांक 28.7.2011 को प्राप्त होना पाया गया। (ओई–4) तथा यह एमई दिनांक 13.9.2011 को आवेदक के परिसर में स्थापित की

गई। अनावेदक के अनुसार एमई की ग्याारंटी 12 माह की है जिसके अनुसार ग्यारंटी अवधि दिनांक 13.8.2012 तक है। जबकि एमई दिनांक 20.4.2012 को ही फेल हुई अर्थात उक्त एमई ग्यारंटी अवधि में फेल हुई।

23 उपरोक्त दोनों एमई को दिनांक 23.3.2015 को स्क्रेप मानते हुए नीलाम कर दिया गया जबकि दोनों एमई के संबंध में विवाद एवं उस सुनवाई उपभोक्ता फोरम में चल रही थी। इस प्रकार प्रकरण में सुनवाई के दौरान ही दोनों एमई को नीलाम करने से साक्ष्य नष्ट कर दिये गये।

24 इस प्रकरण में निष्कर्ष निकालने से पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों एवं अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 क्रमांक 1902 के परिशिष्ट 1 के बिन्दु क्रमांक VI का अवलोकन किया गया। विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 11.4 जो निम्नानुसार है –

11.4 उपभोक्ता के परिसर में लगाया गया विद्युत संयत्र लाइन या मोटर या अन्य कोई उपकरण को छेड़ा जाता है, क्षति पहुंचाई जाती है या खराब पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपकरण लाईन, मीटर, प्लांट या उपकरण को सुधार कर चालू करने या बदलकर चालू करने में आई लागत की वसूली उपभोक्ता से करने का अधिकार होगा।

VI. Recovery of Cost of Burnt Meter/Metering equipment

Recovery of Cost of Burnt Meter/Metering equipment, when respondibility of consumer is established	Full depreciated cost

उपरोक्त दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि जब तक ये प्रमाणित न हो जाए कि उपभोक्ता द्वारा मीटर, एमई इत्यादि उपकरण से छेड़छाड़ कर क्षतिग्रस्त किया गया हो तब तक अनुज्ञप्तिधारी किसी क्षतिग्रस्त उपकरण की कीमत नहीं वसूल सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि–

25 अनावेदक द्वारा आवेदक के अनुरोध करने पर भी दोनों एमई का विस्तृत परीक्षण/कोर इन्स्पेक्शन नहीं किया गया जिससे कि एमई के फेल होने के वास्तविक कारण मालूम हो सकें।

26 अनावेदक द्वारा केवल रूटीन परीक्षण के आधार पर दोनों एमई के बी फेज की सीटी ओपन होने पर एमई क्षतिग्रस्त होना दर्शाते हुए दोनों एमई की कीमत आवेदक से जमा करा ली गई। जबकि सीटी ओपन होने के और भी तकनीकि कारण हो सकते थे। यह भी संभव था कि केबल बुसिंग से सीटी के आंतरिक लीड विच्छेदित हो गई हो जो कि एमई के आयल लेवल कम होने पर हो सकता था जिसकी पुष्टि केवल कोर इन्स्पेक्शन करने पर ही संभव था।

27 अनावेदक का यह कहना कि आवेदक के परिसर में दिनांक 20.4.2012 को फेल हुई एमई उनकी विद्युत स्थापना में फाल्ट आने से क्षतिग्रस्त हुई है के संबंध में मौका परीक्षण का कोई

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे कि इस बात की पुष्टि हो सके कि आवेदक के परिसर में विद्युत स्थापना में अमुक फाल्ट आने से एमई क्षतिग्रस्त हुई।

28 दिनांक 20.4.2012 को जली हुई एमई प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर गारंटी पीरियेड में फेल होना इंगित करता है तथा ऐसा होने पर एमई का रूटीन परीक्षण के अलावा कोर इन्स्पेक्शन होना आवश्यक था। जिसका परीक्षण के आधार पर एमई के निर्माता से एमई रिपेयर करवाई जा सकती थी (फ्री ऑफ कास्ट) परन्तु अनावेदक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर आवेदक से पैसे जमा कराकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली।

29 प्रकरण की सुनवाई के दौरान ही दोनों एमई को नीलाम कर साक्ष्य नष्ट कर दिये गये अन्यथा सुनवाई के दौरान आवेदक के अनुरोध पर उसके सम्मुख कोर इन्स्पेक्शन किया जाकर एमई में वास्तविक क्षति देखकर यह सुनिश्चित किया जा सकता था कि एमई के फेल होने का वास्तविक कारण क्या है तथा तदानुसार जिम्मेदारी निश्चित की जा सकती थी।

30 उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपनी कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया गया तथा केवल उपभोक्ता से एमई की राशि जमा करने के पश्चात उनके द्वारा आवेदक की संतुष्टी एवं अनुरोध करने पर भी दोनों एमई का विस्तृत परीक्षण/कोर इन्स्पेक्शन नहीं किया गया जिससे कि एमई के क्षतिग्रस्त होने के वास्तविक कारण मालूम कर आवेदक को संतुष्ट कर सके कि एमई उनके परिसर में स्थापित विद्युत स्थापना में फाल्ट आने के कारण ही क्षतिग्रस्त हुई है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा अपनी सेवा में कमी की गई। अतः आवेदक द्वारा जमा की गई दोनों एमई की कीमत आवेदक को वापस करने योग्य है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

अ आवेदक द्वारा दोनों क्षतिग्रस्त एमई की जमा की गई राशि रूपये 104224/– एवं रूपये 117634/– को अनावेदक वापस करें अथवा उनके आगामी विद्युत देयकों में उस राशि का समायोजन करें।

31 फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

32 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

33 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल